प्रेस नोट
जनपद – सोनभद्र
दिनांक – 20.01.2026

थाना पिपरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 01 अन्तर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी का अभियुक्त गिरफ्तार — कब्जे से 1019 पेटी में 23,508 शीशी (9088.02 लीटर) अवैध अंग्रेजी शराब, ट्रक व मोबाइल सहित ₹1.17 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति बरामद

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के निर्देशन तथा श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) एवं श्रीमान् क्षेत्राधिकारी पिपरी के कुशल मार्गदर्शन में जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पिपरी सत्येन्द्र कुमार राय द्वारा थाना पिपरी क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान हाईटेक तिराहा पर मौजूद रहते हुए मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि खाड़पाथर, थाना हाथीनाला के जंगल मुख्य मार्ग से होकर दिनांक 20.01.2026 को समय लगभग 12.40 बजे एक कंटेनर के माध्यम से झारखण्ड के रास्ते रांची अवैध अंग्रेजी शराब ले जाई जा रही है। प्राप्त सूचना पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त श्रवण कुमार पुत्र चैनाराम निवासी रूपसर बलाड़, तहसील पोखरण, थाना फलसून्ड, जिला जैसलमेर (राजस्थान), उम्र लगभग 33 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कंटेनर में लदी 1019 पेटी में कुल 23,508 शीशी अवैध अंग्रेजी शराब (कुल मात्रा 9088.02 लीटर), जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 82 लाख रुपये है, एक अदद कंटेनर जिसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपये, 02 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन तथा जामा तलाशी से 950 रुपये नगद बरामद किए गए। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना पिपरी जनपद सोनभद्र पर मु0अ0सं0- 13/2026 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस व 60, 63, 72 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

पूछताछ का विवरण :-

पूछताछ के दौरान वाहन चालक/अभियुक्त श्रवण कुमार पुत्र चैनाराम निवासी रूपसर बलाड़, तहसील पोखरण, थाना फलसून्ड, जिला जैसलमेर (राजस्थान) ने अवैध शराब परिवहन के संबंध में बताया कि प्रवीण कुमार निवासी रोहतक, हरियाणा द्वारा कंटेनर ट्रक में भरी अंग्रेजी शराब के पैकेट नाकोदर गांव के पास, लुधियाना क्षेत्र से उपलब्ध कराए जाते थे तथा निर्देश दिए जाते थे कि उक्त शराब से लदे कंटेनर को झारखण्ड रांची के रास्ते बिहार ले जाया जा रहा है। अभियुक्त ने बताया कि प्रवीण कुमार उससे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लगातार संपर्क में रहता था तथा इस बार वह वाराणसी तक उसके साथ आया भी था। प्रवीण कुमार ने बताया था कि रांची पहुंचने पर वह एक व्यक्ति को भेजेगा, जो कंटेनर लेकर बिहार जाएगा तथा बिहार में कंटेनर खाली होने के बाद अभियुक्त को फोन किया जाएगा, जिसके पश्चात वह वहां पहुंचकर कंटेनर ले जाएगा और उसे मेहनताना के रूप में 50,000 रुपये वहीं प्राप्त होंगे। अभियुक्त ने यह भी बताया कि प्रवीण कुमार के कहने पर वह कंटेनर जिसे निर्देश मिलता उसी व्यक्ति को सौंप देता था तथा इससे पूर्व भी वह प्रवीण कुमार द्वारा उपलब्ध कराए गए कंटेनरों को लगभग 5–6 बार रांची तक ले जा

चुका है। अभियुक्त ने यह स्वीकार किया कि जानबूझकर वाहन पर फास्टैग नहीं लगाया जाता था ताकि टोल टैक्स के माध्यम से वाहन की पहचान न हो सके। सकुशल शराब की खेप पहुंचाने पर उसे प्रति चक्कर 50,000 रुपये मिलते थे, जिससे उसकी आजीविका चलती थी, जबकि प्रवीण कुमार अवैध शराब तस्करी से भारी मुनाफा कमाता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

01. श्रवण कुमार पुत्र चैनाराम निवासी रूपसर बलाड़ तहसील पोकरण थाना फलसून्ड जिला जैसलमेर राजस्थान उम्र करीब 33 वर्ष।

वांछित अभियुक्त –

01. प्रवीण कुमार पुत्र अज्ञात निवासी रोहतक हरियाणा।
02. वाहन स्वामी चाफियार अली पुत्र साबेद अली निवासी पी0आर0 हिल, कोहिमा।

बरामदगी का विवरण :-

1. अभियुक्तगण के कब्जे से 1019 पेटी में 23508 शीशी कुल 9088.02 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब अनुमानित कीमत लगभग 82,00,000/- रुपये
   - MC. DOWELL NAL (750ML) -40 पेटी,
   - ROYAL STAG (750 ML) - 499 पेटी
   - ROYAL STAG (375ML) - 250 पेटी
   - ROYAL STAG (180ML) - 230 पेटी
2. 01 अदद ट्रक कीमत लगभग 35,00,000/- रुपये।
3. 01 अदद एन्ड्रॉयड मोबाइल।
4. जामा तलाशी के 950/- रुपया बरामद।

गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र कुमार राय थाना पिपरी जनपद सोनभद्र।
2. उ0नि0 श्री संजय सिंह चौकी प्रभारी रेनूकूट, थाना पिपरी जनपद सोनभद्र।
3. उ0नि0 दिलीप कुमार सिंह थाना पिपरी जनपद सोनभद्र।
3. हे0का0 प्रभूनारायण थाना पिपरी जनपद सोनभद्र।
4. हे0का0 नवीन कुमार गिरी थाना पिपरी जनपद सोनभद्र।
5. हे0का0 मनीष कुमार सिंह चौकी रेनुकूट थाना पिपरी जनपद सोनभद्र।
6. हे0का0 चन्दन मिश्रा थाना पिपरी जनपद सोनभद्र।
7. का0 प्रदीप कुमार पाल थाना पिपरी जनपद सोनभद्र।